

विद्यालय - RPS Chirawa (P00631)

आवेदन क्रमांक : 24775

मान्यता नंबर : RJUN25565

प्राकार-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी JHUNJHUNUN, राजस्थान

क्रमांक 3419

दिनांक 21/08/2018

सचिव

पद संश्लेषण

RPS Chirawa

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रस्ताव पत्र।

आपके आवेदन पर क्रमांक 24775 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए परामर्शों पर व्यवहार/ निर्दिष्टन के क्रम में, RPS Chirawa पता Near New Bus Stand, Chirawa, District - Jhunjhunu राज. संघात/ सहरी स्थानीय विभाग CHIRAWA CITY (NP) ब्लॉक CHIRAWA के शैक्षिक सत्र 2018-19 में निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता है-

मान्यता का प्रकार	नवीन मान्यता कक्षा (1-8)
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष में ही क्या 7 एवं 8 के संघालन की अनुमति	Yes

1. मान्यता के लिए संबंधी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से ज्ञान मान्यता/संबद्धता की कोई सहायता प्रदान नहीं होगी।
 2. विद्यालय, शिक्षण और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का संघीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान शिक्षण और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
 3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्ण विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छत्र संख्या की सीमा तक अर्थात् - पड़ोस के 'कमजोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक शिक्षण और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खोलेगा।
 4. वि-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान शिक्षण और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिक्रिया की जायेगी।
 5. सहायता/विद्यालय बोर्ड प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संबंधित नहीं करेगा और बालक या उसके अदा-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग (Screening) प्रक्रिया का पार नहीं बनायेगा।
 6. विद्यालय आयु के समूह के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय को सुनिश्चित करेगा कि
- (I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में प्रवेश का विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - (II) कोई बालक शारीरिक दृष्ट या मानसिक अक्षमता का पार नहीं होगा;
 - (III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;
 - (IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान शिक्षण और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकृत प्रमाण पर पटन किया जायेगा;

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी JHUNJHUNUN, राजस्थान

- (V) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्धारित/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;
- (VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकृतित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए;
- (VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं; और
- (VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं सम्मिलित करेंगे।
7. विद्यालय, समुचित प्राथिकी द्वारा अधिकृतित पाठ्यक्रम (Curriculum) के अन्तर्गत पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में बयान-विनिर्दिष्ट मान और मजाली या अनुपस्थापन करते हैं एवं आगे भी करते रहेंगे।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई भी मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जावेंगी।
10. विद्यालय सभ्य या अन्य संरचनाएं या गैरमान्यता प्राप्त शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जावेंगी।
11. विद्यालय, सोलाहटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोलाहटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रेशन विना सोलाहटी द्वारा या तत्समक प्रकृत किसी विधि के अधीन कठित किसी लेख न्यूनतम द्वारा पालन जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगठन या विद्यार्थी अन्य व्यक्तियों के समूह के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी छात्र एकाउंटेंट द्वारा सेवा की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित सेवा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक सेवा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जावेंगी।
14. इस कार्यालय के कार्य पर व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
15. विद्यालय, ऐसे विद्यार्थी और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अर्हता की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेंगे जो मान्यता की धारा को सम्बन्धित पूरा करने या विद्यालय सन्दर्भण में सुविधा को हटाना जन्म सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जायें।
16. सोलाहटी के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. विद्यालय शिक्षा विभाग के वार्षिक कलेक्टर का उपस्थान करेंगे।
18. अन्य धारा जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जावेंगी, मान्य होंगी।


जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जून (राज.)